पत्रांक 966 /xix/2005

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
सचिव,
उत्तराँचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

(2) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
देहरादून/हल्द्वानी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

दिनाँक : देहरादूनः 18 जून, 2005।

विषय :- **विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अर्न्तगत रबी/खरीफ खाद्यान्नों के परिवहन दरों के निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा स्थानीय परिवहन हेतु भौतिक शैड्यूल दरों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अर्न्तगत खरीदे गये रबी/खरीफ खाद्यान्नों के संचरण की व्यवस्था केन्द्रीय/स्टेट पूल डिपोज तक, जैसी भी स्थिति हो, समय से कर ली जाये। इस सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार बिन्दुवार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

1. **परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था** :-

खाद्यान्न के परिवहन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम तथा विभाग में पंजीकृत व्यक्तियों/फर्मो से टेक्निकल बिड प्राप्त की जाए तथा जो ठेकेदार अर्हता पूरा करते हो उन्हीं को निविदा में सम्मिलित किया जाए। ठेकेदारों की नियुक्ति में ऐसे व्यक्तियों/फर्मो को वरीयता दी जाय जिनके पास अपनी निजी ट्रकें हो तथा जिनकी ख्याति/साख अच्छी हो एवं ईमानदार हो । लाईसेंस प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों को यथा संभव ठेकेदार नियुक्त न किया जाए । सम्बन्धित क्रय एजेन्सी तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन ठेकेदार बिचौलियों का कार्य न कर पायें ।

परिवहन ठेकेदार के पास जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र तथा ठेकेदार के पास कम से कम दो ट्रकों का स्वामित्व भी अवश्य होना चाहिए । संबधित ठेकेदार द्वारा उत्तराँचल राज्य में कारोबार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संबधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति अवश्य प्राप्त करनी होगी । ठेकेदार के पास स्थायी कार्यालय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न परिवहन हेतु ठेके लेने वाली फर्म यदि आयकर विभाग में पंजीकृत है, तो उस दशा में फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा उत्तराँचल परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परिवहन लाईसेंस संबधित फर्म के पास उपलब्ध होना चाहिए ।

इस निमित्त नियुक्त परिवहन ठेकेदारों द्वारा अपने हस्ताक्षर के नमूने एवं अपने सभी ट्रकों की **रजिट्रेशन संख्या** प्रत्येक क्रय केन्द्र पर उपलब्ध करायी जायेगी। परिवहन ठेकेदारों को यह आदेश दिए जायेगें कि जब भी वह ट्रक को प्रयोग के लिए भेजें तो ट्रक के ड्राइवर के हस्ताक्षर को भी सत्यापित करके भेजें ताकि क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सकें कि ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजी गयी है । यदि किसी कारणों से परिवहन ठेकेदार अपने एजेन्ट को उक्त कार्य हेतु नामित करना चाहता है तो वह उसकी लिखित सूचना देगा और उसके हस्ताक्षर के नमूने को सम्बन्धित अधिकारी को

क्रमशः दो पर....

प्रेषित करेगा ।

2. **परिवहन दरों का निर्धारण :-**

परिवहन की दरों का निर्धारण सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अतएव विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारी रबी/खरीफ खाद्यान्नों के लिए परिवहन दरें समय से निर्धारित कर दें ताकि ठेकेदारों के अभाव में क्रय केन्द्रों पर गेहूँ/धान का न तो जमाव हो सके और न ही क्रय एजेन्सियों को तदर्थ व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़े।

परिवहन ठेकेदारों के लिए दरों के निर्धारण में एकरूपता रखने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को दूर करने तथा दुर्विनियोग आदि को रोकने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा जनपद की वास्तविक तथा व्यवहारिक स्थानीय दूरी को संज्ञान में रखते हुये सम्भागीय यातायात अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, पी०सी०एफ०, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, यू०पी० एग्रो, उपभोक्ता सहाकारी संघ तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक से तत्समय परिवहन की प्रचलित बाजार दरें (डिटेंशन अवधि) ज्ञात करने के पश्चात् दरें तय की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी देखा जाना आवश्यक होगा कि निर्धारित परिवहन दरें पूरे जनपद हेतु व्यवहारिक रहें, जिससे की सभी क्रय संस्थाओं को परिवहन ठेकेदार उपलब्ध हो सकें। परिवहन ठेकेदारों के लिए परिवहन की दरें तथा ट्रकों की व्यवस्था के लिए शासनादेश संख्या-पी-372/29 गेहूँ 1.5(12)/79 दिनाँक 09-04-1979 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

3. **ठेकेदारों की नियुक्ति :-**

परिवहन ठेकेदारों को टेन्डर के आधार पर नियुक्त करने में निम्नलिखित माप-दण्ड रखा जाना सुनिश्चित किया जाये :-

(अ) परिवहन ठेकेदारों हेतु अर्हता निर्धारित की जाए तथा उन ठेकेदारों का ही पंजीकरण विभाग में किया जाए जो आर्थिक रूप से सक्षम, अच्छी ख्याति वाले व ईमानदार है तथा उनके पास स्वयँ अपने ट्रक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। पंजीकरण से पूर्व ठेकेदारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन परिवहन विभाग से करा लिया जाए तथा ऐसे ठेकेदारों का पंजीकरण न किया जाए जो संदिग्ध वृत्त वाले हों अथवा जिनके विरूद्ध खाद्यान्न के दुर्विनियोग के मामले पूर्व से ही प्रचलित हों अथवा जो इन अपराधों के लिए न्यायालय में दोषी सिद्ध हुए हों।

(ब) निविदा से पूर्व परिवहन ठेकेदारों से "टेक्निकल ब्रिड" प्राप्त की जाए तथा जो ठेकेदार अर्हता को पूरा करते हैं उन्ही को निविदा में सम्मिलित किया जाए।

(स) भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित परिवहन दर से अधिक दर पर परिवहन व्यय कि प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। इसलिए टेण्डर के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ही निविदायें स्वीकार की जायेगीं। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर की निविदा को निरस्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाये।

(द) केन्द्रों से खाद्यान्न के संचरण के समय चोरी/गबन/दुर्विनियोग को समाप्त किये जाने के उद्देश्य से यथासम्भव जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर ही परिवहन ठेकेदार नियुक्त किये जाए। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान समय में यह समभावना रहेगी कि टेण्डर के समय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से कम की दरें प्रस्तुत की जायें, जिसको स्वीकृत करने की दशा में सम्बन्धित संस्था को ऑडिट आपत्ति पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से 05 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) कम की सीमा से कम दर की निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। 05 प्रतिशत से अधिक कमी वाली दरें अव्यवहारिक मानी जायेगी तथा उन्हें निरस्त करते हुये सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाये।

(य) शासन के वित्त विभाग द्वारा टेण्डर प्रतिक्रिया एवं पारदर्शिता निर्गत शासनादेश संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 दिनाँक 27-04-2001 के क्रम में प्राप्त टेण्डरों के

क्रमशः तीन पर....

निविदाताओं से निगोशिएशन सामान्यतः न किया जाए। एक से अधिक एक ही दर की प्राप्त निविदा को पक्षकारों के समक्ष लाटरी के द्वारा अन्तिम रूप दिया जाए।

4. **ठेकेदारों से अनुबंध :-**

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-पी०-372/29 मेह 1 5(12)/79 दिनांक 09-04-1979 के प्रस्तर-8 के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के आधार पर ट्रकों की आवश्यकता का आंकलन करते हुए अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाए कि न्यूनतम संख्या में ट्रकों की उपलब्धता उसके पास सदैव रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि ठेकेदार के अनुबन्ध पत्र भराने के बाद ही परिवहन कार्य कराना प्रारम्भ किया जाए।

5. **जमानत की धनराशि :-**

नियुक्त परिवहन ठेकेदारों से रूपये 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की नकद जमानत और क्रय केन्द्र पर जिस दिन की सर्वाधिक खरीद हुई हो, खरीद की मात्रा का उल्लेख करते हुए उसकी मात्रा के मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि के बराबर फिडेलिटी बॉण्ड लिया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि बीमा कम्पनियाँ फिडेलिटी बॉण्ड निर्गत नहीं करती हों तो सम्बन्धित ठेकेदार से उस धनराशि की बैंक गारण्टी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

अपवाद स्वरूप जहाँ क्रय की मात्रा काफी कम होने के कारण परिवहन कार्यों को सम्पादित कराने में कठिनाई हो रही हो वहाँ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अपने विवेक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत् रखते हुये जमानत की धनराशि न्यूनतम रूपये 15,000 (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) तक रख सकते हैं, लेकिन इस कारण यदि शासन को क्षति होती है तो उसके लिये सम्भागीय खाद्य नियंत्रक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबन्ध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा जो परिवहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. **क्षति की वसूली :-**

यदि परिवहन ठेकेदार से खाद्यान्न की क्षति होती हो तो उस क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के मूल्य के 1.5 (डेढ़) गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जाये। इस शर्त को भी अनुबंध की शर्तों में सम्मिलित किया जाये। ऐसे सभी मामलों का विवरण वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल को भेजा जायेगा।

खाद्य विभाग के केन्द्रों पर खाद्यान्न/लेवी चीनी मृत स्कंधों के हैण्डलिंग एवं स्थानीय परिवहन के शैड्यूल की सांकेतिक दरें संलग्नक में उल्लिखित मानक के आधार पर होगीं।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय आय व्ययक में लेखाशीर्षक "4408" खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूंजी परिव्यय-आयोजनेत्तर-01- खाद्य-101 खरीद और पूर्ति 03-अन्नपूर्ति योजना 31-सामग्री तथा सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किए जा रहे हैं कि उक्त व्यय भरत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा तथा इसकी प्रतिपूर्ति करा ली जाएगी। उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उसके अनुबन्ध पत्र भराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक :- यथोपरि

भ व दी य,

(पी०सी० शर्मा)
सचिव।

क्रमशः चार पर....

NIC-266

(1)

संख्या : 966 (1)/XIX/2005, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार, उत्तराँचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या 966 (1)/XIX/2005 तददिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराँचल शासन, देहरादून ।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराँचल देहरादून ।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल ।
4. अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल ।
5. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उत्तराँचल ।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराँचल ।
7. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक विभाग, उत्तराँचल ।
8. मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराँचल।
9. समस्त वरिष्ठ/संभागीय वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमायूँ/गढ़वाल सम्भाग।
10. समस्त संभागीय विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग ।
11. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून ।
12. प्रबन्ध निदेशक, समस्त क्रय संस्थाएं, उत्तराँचल ।
13. वित्त अनुभाग-3 उत्तराँचल शासन ।
14. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, खाद्य उत्तराँचल।
15. निदेशक, एन०आईसी० सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।